न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 321 / 2022 दायर दिनांकः– 21 / 10 / 2022

जीसीएमएस नं0:–2022 / 667 निर्णय दिनांकः– 28 / 03 / 2025

वउनवान

1. मनोहरी पुत्र दुधा जाति जाटव निवासी कुटटीनमंशादास तहसील कठूमर जिला अलवर।

....वादी

बनाम

1. हरदयाल पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी कुटटीनमंशादास गिर्राज
2. परतांप पुत्र तेजा जाति जाटव निवासी कुटटीनमंशादास
3. विष्णु पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी कुटटीनमंशादास तहसील कठूमर जिला अलवर।
4. तहसीलदार साहब तहसील कठूमर।

––– तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–

उपस्थितिः–श्री कृपादयाल राणा – अधिवक्ता वादी

–:निर्णयः–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 129 / 527 रकबा 0.01 हैक्ट0, 130 रकबा 0.57 हैक्ट0, 131 रकबा 0.34 हैक्ट0, 135 रकबा 0.37 हैक्ट0, 136 / 481 रकबा 0.24 हैक्ट0, ग्राम गाालाखेडा तहसील कठूमर में स्थित है। यह है कि उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

काश्त की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। असल प्रतिवादीगण सरजोर, बानेबन्द व मुठर्मद किस्म के व्यक्ति है, जो वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी में मदाखलन मजाहमत पैदा करते रहते है। आराजी की डौल को जोत कर बेदखल करने पर व कब्जा करने पर आमादा है जोतने बोने व काटने समेटने मे बाधा उत्पन्न करते है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो वादीगण तबाह एंव बर्बाद हो जावेगा। इस वजह से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जरूरी है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 बावजूद रजिस्टर्ड सूचना के उपस्थित नहीं आये। इनके विरूद्व दिनांक 20.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रदर्श–1 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी पी डब्ल्यू 1 मनोहरी के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किया है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया व दावा को डिक्री कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी हाल के अवलोकन से यह साबित है कि आराजी खसरा नम्बर 129/527 रकबा 0.01 हैक्ट0, 130 रकबा 0.57 हैक्ट0, 131 रकबा 0.34 हैक्ट0, 135 रकबा 0.37 हैक्ट0, 136/481 रकबा 0.24 हैक्ट0, ग्राम गाालाखेडा तहसील कठूमर में जो आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड आराजी है। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड एवं वादी के शपथ पत्र के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन करने पर यह पाया गया है, कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी से किसी प्रकार का सरोकार व संबंध नही है ना ही प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का अधिकारी पाये जाते है। विवादित आराजी वादी की खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में बाधा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अतः वाद वादी साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता हे।

—ःआदेशः—

अतः दावा वादीगण हुक्मइन्तनाई दवामी साबित होने से डिक्री किया जाकर असल प्रतिवादीगण को विवादीत आराजी खसरा नम्बर 129/527 रकबा 0.01 हैक्ट0, 130 रकबा 0.57 हैक्ट0, 131 रकबा 0.34 हैक्ट0, 135 रकबा 0.37 हैक्ट0, 136/481 रकबा 0.24 हैक्ट0, ग्राम गालाखेडा तहसील कठूमर में वादी को किसी प्रकार की काश्त संबंधी कार्य करने में बाधा उत्पन्न ना करें व रूकाबट व मजाहमत पैदा ना करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शयामसुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/321/2022 दायर दिनांकः— 21/10/2022

जीसीएमएस नं0:—2022/667 निर्णय दिनांकः— 28/03/2025

वउनवान

1. मनोहरी पुत्र दुधा जाति जाटव निवासी कुटटीनमंशादास तहसील कठूमर जिला अलवर।

....डिक्रीदारान्

बनाम

1. हरदयाल पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी कुटटीनमंशादास गिर्राज
2. परताप पुत्र तेजा जाति जाटव निवासी कुटटीनमंशादास
3. विष्णु पुत्र रामस्वरूप जाति जाटव निवासी कुटटीनमंशादास तहसील कठूमर जिला अलवर।
4. तहसीलदार साहब तहसील कठूमर।

——— मदयूनान्

दावा हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955—

अतः दावा वादीगण हुक्मइन्तनाई दवामी साबित होने से डिक्री किया जाकर असल प्रतिवादीगण को विवादीत आराजी खसरा नम्बर 129/527 रकबा 0.01 हैक्ट0, 130 रकबा 0.57 हैक्ट0, 131 रकबा 0.34 हैक्ट0, 135 रकबा 0.37 हैक्ट0, 136/481 रकबा 0.24 हैक्ट0, ग्राम गाालाखेडा

निर्णय दिनांक 28.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

श्यामसुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०